फाइल नं0-71-1001/1703/2019

04/2024/I/472366/2024

प्रेषक,

पवन कुमार,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 16 जनवरी, 2024

विषयः-वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों में क्रय किये जाने वाले उपकरणों हेतु गठित तकनीकी समिति के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2023-24/302, दिनांक 25.08.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में उपकरणों के क्रय के लिए अब शेष उपकरणों की तकनीकी विशिष्टियां के अनुमोदन/निर्धारण किये जाने हेतु डॉ0 अविनाश अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति की समय सीमा बढ़ाने अथवा नई कमेटी बनाये जाने के सम्बन्ध में निर्णय हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त कृपया **राजकीय** मेडिकल कालेजों/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों/चिकित्सा संस्थानों में क्रय किये जाने वाले उपकरणों के सम्बन्ध में निम्नवत् दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएः-

1. वित्तीय वर्ष 2023-24 में 225 उपकरणों, जिनकी लागत रू0 1.00 लाख से कम है, की तकनीकी विशिष्टियों के निर्धारण हेतु सम्बन्धित संस्था के प्रधानाचार्य/निदेशक को अधिकृत किया जाता है कि वे आवश्यकतानुसार स्थानीय स्तर पर समिति का गठन कर मानकीकृत तकनीकी विशिष्टयॉं निर्धारित कराते हुए उसके अनुसार उपकरणों का क्रय किया जाना सुनिश्चित करें।
2. वित्तीय वर्ष 2023-24 में 241 उपकरण, जिनकी तकनीकी विशिष्टियां समिति द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी थी, को गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानाचार्य/निदेशक द्वारा पूर्व में अनुमोदित विशिष्टियों के आधार पर क्रय किये जाने के निर्देश चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 07.12.2022 द्वारा दिये गये थे। इन 241 उपकरणों की मानकीकृत विशिष्टयों की वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अद्यावधिक उपयोगिता का आकलन करते हुए सुविचारित प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.12.2021 द्वारा डॉ0 अविनाश अग्रवाल, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष क्रिटीकल केयर मेडिसिन , के0जी0एम0यू0 **लखनऊ** की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति की समय सीमा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विस्तारित की जाती है।

3- कृपया उपर्युक्तानुसार दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पवन कुमार)
सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. कुलपति, के0जी0एम0यू0/ उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई इटावा।
2. निदेशक, निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान/एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ,
3. निदेशक, सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान, नोएडा/, गवर्नमेन्ट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसेज, ग्रेटर नोएडा।
4. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
5. समस्त प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ0प्र0।
6. डॉ0 अविनाश अग्रवाल, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष क्रिटीकल केयर मेडिसिन, के0जी0एम0यू0 लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह),
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in